Title: Need to review Jute Packaging (Compulsory Packaging of Commodities) Materials Act, 1987 for allowing non-jute packaging.

श्री ताराचन्द भगोरा (बांसवाड़ा) : केन्द्रीय वस्त्र मंत्रालय ने 25-1-2000 को आदेश जारी कर जूट पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं के अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम 1987 में शक्कर एवं खाद्यान्न का जूट में पैकिंग करने का आरक्षण प्रतिशत सौ तथा खाद के लिए 20 प्रतिशत तय किया था। इसके बाद केवल माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में शक्कर एवं खाद्यान के लिए आरक्षण प्रतिशत दस और खाद के लिए पांच घटाया गया। जूट उद्योग में कई त्रुटियां हैं जो पैकेजिंग संकट को बढ़ा रही हैं। जैसे- 1. जूट पैकेजिंग वैकल्पिक से दोगुना महंगा है। 2. जूट के सौ किलो के बैग बनाए जा रहे हैं जो अंतर्राट्रीय श्रम संगठन के मापदंड के खिलाफ हैं। मापदंड के अनुसार 55 किलो से अधिक वजन उठाना मजदूरों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं। 3. अंतर्देशी प्रयोग में खाने की सामग्री पैक करने के लिए जूट बैगों में जूट बैचिंग तेल होता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि उक्त एक्ट को निरस्त करके देश को पैकेजिंग संकट से बचाया जाए।